न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 122 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बंशीलाल पुत्र डूंगाराम जाति घांची निवासी बिलाडिया गेट, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

उपस्थितिः—

1. श्री धर्मीचंद देवासी अधिवक्ता वादी उपस्थित।
2. तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 21/11/2024

अधिवक्ता मय वादीगण ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत प्रतिवादी तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान के वर्तमान खसरा नंबर 1098, 1114, 1116, 1139, 1165, 1170, 1195 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर की कृषि भूमि पर वादी अपने हिस्से पर निर्बाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय पटवारी हल्का द्वारा पूछे जाने पर परिवार वालों द्वारा वादी के आम बोलचाल का नाम भुण्डाराम बता दिये जाने से राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम दर्ज कर दिया गया, जो भूलवश गलत लिखवा दिया गया हैं। जबकि वादी का वास्तविक दस्तावेजी नाम बंशीलाल पुत्र डूंगाराम हैं। इस प्रकार अधिवक्ता मय वादी द्वारा यह वाद प्रस्तुत कर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर फरमायी जावे कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत खसरा नंबर 1098, 1114, 1116, 1139, 1165, 1170, 1195 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम बंशीलाल पुत्र डूंगाराम दुरूस्त किया जाकर खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार सोजत को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पैरा सं0 01 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम में स्थित होना, पैरा सं0 02 से 06 को साक्ष्य-सबूतों के आधार पर वादी स्वयं सिद्ध करना, पैरा सं0 07 से 09 कानूनी होना अंकित किया हैं। तहसीलदार सोजत को इस संबंध में रिपोर्ट हेतु लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक / राजस्व / 2024 / 286 दिनांक 13.03.2024 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि बोलचाल की भाषा में बंशीलाल पुत्र डूंगाराम को ही भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम कहा जाता है। अतः बंशीलाल पुत्र डूंगाराम एवं भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम कौम घांची एक ही व्यक्ति हैं। माफिक ईश्तदुआ अनुसार नाम दुरूस्त किये जाने की अनुशंषा की हैं।

बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा वाद में वर्णित अपने कथनों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम बंशीलाल पुत्र डूंगाराम दुरूस्त किया जाकर खातेदारी घोषणा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा माफिक ईश्तदुआ एवं दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार नाम दुरूस्त किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उपखण्ड अधिकारी

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद जवाब दावा फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर. बहस अधिवक्ता वादी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी के पिता की मृत्यु के पश्चात् फौतेदगी म्यूटेशन भरते समय सहवन से राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम दर्ज कर दिया गया, जबकि वादी का सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम बंशीलाल पुत्र डूंगाराम हैं। अतः राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम बंशीलाल पुत्र डूंगाराम दुरूस्त इन्द्राज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अतः अधिवक्ता मय वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत. खसरा नंबर 1098, 1114, 1116, 1139, 1165, 1170, 1195 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम के स्थान पर. सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम बंशीलाल पुत्र डूंगाराम दुरूस्त कर खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से मूर्तिब किया जाकर पत्रावली बद्ध किया जांवें। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 21/11/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली

डिकी बमुकद्दमें इब्तदाई

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

बइजलाश श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. बंशीलाल पुत्र डूंगाराम जाति घांची निवासी बिलाड़िया गेट, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. सरकार जरिए तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 आर0टी0एक्ट0 1955 सपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

राजस्व वाद संख्या :– 122 / 2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्ता वादी श्री धर्मीचंद देवासी तथा प्रतिवादी तहसीलदार सोजत स्वयं पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम तह0 सोजत खसरा नंबर 1098, 1114, 1116, 1139, 1165, 1170, 1195 कुल खसरा 07 कुल रकबा 1.6500 हैक्टर की कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी का नाम भुण्डाराम पुत्र डूंगाराम के स्थान पर सही व वास्तविक दस्तावेजी नाम बंशीलाल पुत्र डूंगाराम दुरूस्त कर खातेदार घोषित किया जाता है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय व डिक्री पर्चा की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील / तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान– मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21/11/2024 को जारी की गई।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत, जिला-पाली

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			
मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.

| स्टाम्प वजह सबूत शून्य शून्य महनताना वकल | शून्य | शून्य |